सशस्त्र सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति

इस योजना के अन्तर्गत युद्ध अथवा किसी भी प्रकार की सैनिक कार्रवाई में मारे गए अथवा अपंग हुए सैनिकों के बच्चों/आश्रितों के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में जहां सैनिक कार्रवाई में दिव्यांग हुए ऐसे सैनिकों जिनकी अपंगता कम से कम 50 प्रतिशत होगी, के आश्रितों को छात्रवृत्ति की देय राशि का 50 प्रतिशत भाग आबंटित किया जाएगा। यह छात्रवृत्ति लाभ निम्नानुसार देय होगा:–

कक्षा प्रथम से आठवीं	शहीद होने की स्थिति में	मु0 25000/– रू0 (पच्चीस हज़ार रू0 केवल) प्रति विद्यार्थी/वार्षिक
	50 प्रतिशत से अधिक अपंगता की स्थिति में	मु0 12500/– रू0 (बारह हज़ार पांच सौ रू0 केवल) प्रति विद्यार्थी/वार्षिक

पात्रता शर्तें:–

1. आवेदन के साथ लाभार्थी को अपने जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा लाभार्थी के अभिभावक के सैनिक कार्रवाई में शहीद अथवा दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
2. लाभार्थी सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत् रहा/रही हो।
3. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी का **आधार नम्बर सम्बद्ध (Aadhar seeded) चालू बैंक खाता** उपलब्ध होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज:–

1. सम्बन्धित जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. इस आशय का प्रमाणपत्र कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लाभार्थी उसी सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत् रहा/रही है जहां से उसने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है।
3. इस आशय का प्रमाणपत्र कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लाभार्थी ने किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
4. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
5. चालू बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ, खाता संख्या एवं आईएफएस कोड सहित, की सत्यापित छायाप्रति।

Director
Elementary Education
Himachal Pradesh